

**गुडईयर इंडिया लिमिटेड**

(CIN: L25111HR1961PLC008578)

पंजीकृत कार्यालय: मधुरा रोड, बलभागड़ (जिला फरीदाबाद)-121004, हरियाणा, भारत

टेलीफोन: 0129-6611000, फैक्स: 0129-2305310

ईमेल: goodyearindia\_investorcell@goodyear.com, वेबसाईट: www.goodyear.co.in

**60वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना**

1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि गुडईयर इंडिया लिमिटेड ('कम्पनी') की 60वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, 12 अगस्त, 2021 को 10.00 बजे पूर्वी, भारतीय मानक समय (आईएसटी) को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य आडियो विजुअल माध्यमों ('वीसी/ओवीएम') सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत नियमों तथा कापरिट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र नं. 14/2020 तिथि 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र नं. 20/2020 तिथि 05 मई, 2020 तथा परिपत्र नं. 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021 ('एमसीए परिपत्र') तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79, तिथि 12 मई, 2020 तथा परिपत्र नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 2/सीआईआर/पी/2021/11, तिथि 15 जनवरी, 2021 ('सेबी परिपत्र') के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुपालन में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना मैं निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

2. एजीएम की सूचना तथा उस पर निदेशक मंडल तथा ऑडिटरों के रिपोर्ट के साथ-साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये उसमें अंकेक्षित वित्तीय विवरणों सहित 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट ईमेल द्वारा केवल ऐसे सभी सदस्यों को ही भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते एमसीए परिपत्र तथा सेबी परिपत्र के अनुसार कम्पनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण केवल वीसी/ओवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में शामिल तथा भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश तथा रिमोट ई-बोटिंग में भागीदारी अथवा एजीएम के दोरान ई-बोटिंग के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी। एजीएम की यह सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् [www.goodyear.co.in/investor-relations](http://www.goodyear.co.in/investor-relations) तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात् [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

**3. ईमेल पते को पंजीकृत करने/अद्यतन करने का तरीका:**

क) भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल पते दर्ज नहीं कराये हैं, एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं/अथवा रिमोट ई-बोटिंग के द्वारा मतदान करने के लिये लॉगिन विवरणों तथा वीसी/ओवीएम सुविधा द्वारा एजीएम में शामिल होने, ई-बोटिंग सहित, के लिये कम्पनी के ईमेल पते [goodyearindia\\_investorcell@goodyear.com](mailto:goodyearindia_investorcell@goodyear.com) पर अथवा आरटीए के पास [srikant@skylinerta.com](mailto:srikant@skylinerta.com) पर फोलियो नं., शेयरधारक का नाम तथा शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (फ्रंट तथा बैक), पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) उपलब्ध करा कर उसे प्राप्त कर सकते हैं।

ख) डीमेट पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य जिन्होंने डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि वे अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत/अद्यतन करा लें।

**4. लाभांश प्राप्त करने के लिए मैंडेट पंजीकृत करने का तरीका:**

क) भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ईसीएस) अथवा अन्य किसी पद्धति द्वारा अपनी बैंक खाताओं में प्रत्यक्ष रूप से लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने मैंडेट अद्यतन नहीं कराये हैं, वे कम्पनी के ईमेल पते [goodyearindia\\_investorcell@goodyear.com](mailto:goodyearindia_investorcell@goodyear.com) पर अथवा [srikant@skylinerta.com](mailto:srikant@skylinerta.com) पर आरटीए के पास एजीएम की सूचना के साथ संलग्न ईसीएस मैंडेट फार्म में वाचित विवरणों की रक्केन की गई प्रति भेजकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बैंक खाता में प्रत्यक्ष रूप से लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट पंजीकृत करा सकते हैं।

ख) डीमेट पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स के पास अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट अद्यतन करा लें।

5. सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकों लाभांश के भुगतान तथा एजीएम के उद्देश्य से शुक्रवार, 06 अगस्त, 2021 से गुरुवार, 12 अगस्त, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। एजीएम में, यदि स्वीकृत होता है, तो लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम 05 अगस्त, 2021 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे।

6. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार 01 अप्रैल, 2020 से लाभांश आय सदस्यों के लिए कर-योग्य होगा तथा कम्पनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को प्रदत्त लाभांश से स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करना होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए सदस्यों से आग्रह है कि वित्त अधिनियम, 2020 तक उसके संशोधनों को देखें। सदस्यों से आग्रह है कि कम्पनी/उसके आरटीए के पास (भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में) [goodyearindia\\_investorcell@goodyear.com](mailto:goodyearindia_investorcell@goodyear.com) पर अथवा [srikant@skylinerta.com](mailto:srikant@skylinerta.com) पर ईमेल भेजकर तथा डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स के पास (डीमेट पद्धति में धारित शेयरों के मामले में) अपने पैन को अद्यतन करा लें। अधिक विवरणों के लिए कृपया एजीएम की सूचना में दी गई टिप्पणियों को देखें।

7. यदि कम्पनी बैंक खाता के विवरणों की अनुपलब्धता के कारण इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में किसी भी सदस्य को लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ होती है तो कम्पनी ऐसे शेयरधारकों को डाक द्वारा लाभांश वारंट प्रेषित करेगी।

गुडईयर इंडिया लिमिटेड के लिये

हस्ता/-

सोनाली खन्ना

हेड-लीगल, अनुपालन एवं कम्पनी सचिव

तिथि: 13 जुलाई, 2021

स्थान: नई दिल्ली

